न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व अपील सं. 02/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान   अपीलाण्ट –   1. बन्शीधर पुत्र पन्नालाल
जाति धारीवाल
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन

बनाम

उतरदातागण –   1.ग्राम पंचायत बीजराड़ जरिये सरपंच
2.दीपाराम पुत्र गेनाराम, जाति जाट
निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन।
3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –   अपीलाण्ट वकील –   **श्री फताराम गोदारा**
उतरदातागण वकील –   **एकतरफा**

निर्णय

दिनांक :– 22.12.2022

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट की खातेदारी का खेत मौजा बीजराड़ तहसील चौहटन में खसरा सं. 961/242 रकबा 04.7267 हैक्टेयर (29.04 बीघा) का आया हुआ है। अपीलान्ट ने उतरदाता सं. 2 दीपाराम पुत्र गेनाराम को मूल खसरा सं. 961/242 में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर (01.00 बीघा) भूमि जरिये रजिस्ट्री दस्तावेज बेचान दिनांक 11.12.2021 को कर दिया था, जिसका हल्का पटवारी बीजराड़ के द्वारा नामान्तरकरण सं. 2002 दिनांक 04.01.2022 को भरा गया, भू.अ.निरिक्षक बीजराड़ द्वारा दिनांक 08.01.2022 को नामानतरकरण जांच किया गया व ग्राम पंचायत बीजराड़ द्वारा दिनांक 20.01.2022 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण सं. 2002 स्वीकृत करने बाबत हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पटवारी बीजराड़ एवं ग्राम पंचायत बीजराड़ द्वारा बिना मौका देखे अपीलाण्ट को अनदेखा करते हुए राजस्व रेकर्ड में निम्न प्रकार का इन्द्राज कर दिया :—

क्र.सं.	खसरा सं.	खातेदार का नाम	राजस्व रेकर्ड अनुसार	मौका कब्जा काश्त अनुसार
1	961/242	बन्शीधर	3.8283 हैक्टेयर	3.6259 हैक्टेयर
2	1581/242	बन्शीधर	0.7365 हैक्टेयर	0.9390 हैक्टेयर
3	1580/242	दीपाराम	0.1619 हैक्टेयर	0.1619 हैक्टेयर
योग			4.7267 हैक्टेयर	4.7267 हैक्टेयर

उक्त इन्द्राज से मौके पर दोनों खसरों में रकबा में भिन्नता कर दी गई। फलतः दिनांक 07.06.2022 को अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 08.06.2022 को उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 2002 पर पारित उतरदाता सं. 1 के आदेश विरूद्ध अपील निम्न आधार पर न्यायालय में पेश की है :—

1. अपीलाधीन आदेश ना.सं. 2002 मौजा बीजराड़ पर उतरदाता सं. 1 ने पारित करने में भारी विधिक भूल की गई।
2. उक्त ना.सं. 2002 ग्राम पंचायत बीजराड़ की आम बैठक में मौके पर कब्जा देखे बिना पारित कर खेत के टूकड़े कर दिये गये।
3. उक्त ना.सं. 2002 पारित करने से पूर्व बिना मौके देखे लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

इस प्रकार उतरदाता सं. 01 द्वारा अपीलाधीन आदेश ना.सं. 2002 पारित करने में विधि के नियमों का उल्लंघन किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

इसलिए अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश कर उतरदाता सं. 01 द्वारा मौजा बीजराड़ के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 2002 निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस एव खतौनी में अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 के प[...]न्तरकरण स्वीकृत कराने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदाता सं. 1 व 3 को जरिये नोटिस तलब किया गया। उतरदाता स. 1 व 3 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। उतरदाता सं. 2 का नोटिस रजि.एडी से जारी किया गया। उतरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए अतः उतरदातागण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई । अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उतरदाता सं. 01 द्वारा मौजा बीजराड़ के संबंध में नामान्तरकरण सं. 2002 पारित करने में विधि के नियमों का उल्लंघन किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता सं. 01 द्वारा मौजा बीजराड़ के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 2002 निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस एव खतौनी में अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कराने के आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है। अतः न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर मौजा बीजराड़ के संबंध में उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 2002 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को सम्पूर्ण जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:33:11 IST
Reason: SelfAttested